


FORM No. III

फर्त अहकाम (नियम 26)

नियम 26 के तहत, क्र. 26/13/02/27

अस अदातत उपखण्ड अधिकारी मुकाम इंगला
इंगला वनाम डाक्टर
 किरम मुकदमा वादा नं. 13/13/02/27 सन्

तारीख हुपम	हुकम या कार्यवाही मय इतिवित्तस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुपम की तामील में जारी हुए
12/4/27	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र में वांछित दायों को दोहराते हुए नवन किया गया कि वादी का नाम लच्छीराम ठेकर आगामाष्ट कार्ड, आधारकार्ड, महसूल पहचान पत्र, बैंक पास बुक में लच्छीराम दर्ज है। जबकि राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मीलाल अंकित है। राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेजों में अंकित नाम में भिन्नता देखते वही मौजूद उक्त की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः वाद पत्र के अनुसार राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मीलाल के बजाय लच्छीराम दर्ज करने की डिक्री का आदेश जारी करें। इस पर हमने का एवं सेलम दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद धाय अवलोकन परीक्षण पाया गया कि वादी का वास्तविक नाम लच्छीराम दस्तावेज के अनुसार है जबकि राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मीलाल दर्ज है हीनो में भिन्नता है जिसकारण वही को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मीलाल के बजाय लच्छीराम दर्ज किया जाना गमासंगत है अतः मौजा सेमसिया पीसाखे के खता संख्या 29 में वांछित आदेश किया। कुल रकम 4,2500 है अतः में दर्ज लक्ष्मीलाल के बजाय लच्छीराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जा रहा है। डिक्री पर अलग से गृहीत है। पत्रावली केसल शूमाट ठेकर नम्बर से कम है।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 इंगला